डॉ॰ रेणु कुमारी
(गेस्ट प्रोफेसर)
भारती मण्डन महाविद्यालय
रहिका

राजनीति विज्ञान प्रतिष्ठा

बी॰ ए॰ पार्ट-III

प्रस्तावना (PREAMBLE)

प्रस्तावना का महत्व

1. प्रस्तावना इस बात की घोषणा करती है कि भारत में शक्ति का अन्तिम स्रोत भारत की आम जनता होगी।
जैसे :- हम भारत के लोग।

2. प्रस्तावना से यह स्पष्ट होता है कि भारत की संविधान को इस देश की जनता ने बनाया भी है। और स्वीकार भी किया है। जैसे — अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित।

3. प्रस्तावना हमारे शासन के स्वरूप को स्पष्ट करता है। जैसे — प्रभुत्वसम्पन्नता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र और गणतंत्र।

5. प्रस्तावना हमारे समक्ष कुछ आदर्शों को रखता है। जिसे प्राप्त करना हमारे शासन व्यवस्था का लक्ष्य होगा। जैसे — न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा बन्धुत्व इत्यादि।

6. चुँकि कितनी संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है। अतः प्रस्तावना संविधान की व्याख्या करने में मदद करता है।

6. भारतीय संविधान 26 Nov 1949 को स्वीकार किया गया था। इसकी जानकारी प्रस्तावना में ही मिली थी।

K.M मुंशी (कन्हैया लाल मुंशी) के अनुसार –
"प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है"
जिस प्रकार एक जन्मपत्री व्यक्ति की उसके भविष्य की रूपरेखा देती है। उसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत देश के भविष्य की रूपरेखा तैयार करती है। यह बताती है कि भारत देश – लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, न्यायवादी इत्यादि होगा

ठाकुर दास भार्गव –: के अनुसार –
"प्रस्तावना संविधान की आत्मा है"
जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नही है उसी प्रकार संविधान के आदर्शों जैसे – न्याय, स्वतंत्रता, समानता के बिना संविधान का कोई महत्व नही है।

न्यायमूर्ति गजेन्द्र गडकर के अनुसार –
"यद्यपि प्रस्तावना से शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति नही मिलती लेकिन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है।"
जिस प्रकार कुंजी ताले को खोलती है उसी प्रस्तावना संविधान की गुत्थीयों को सुलझाती है।